

Supaligad - Chamoli

रांगांचा: ७२७/४-१९/१(६२)/२०१८

प्रैषक,

रुग्माप चन्द्र,
अपर सविया,
चत्तराखण्ड शासन।

3.28.2
296.87
3.12.19

रोता गंगा

अपर प्रामुख्य तन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
यन संरक्षण, पारेस्ट कालोनी,
इन्दिरा नगर, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुग्राम-4

विषयः जनपद घगोली के अन्तर्गत कैल नदी पर 90 ग्री 10 स्पान के रुपलागाड़ झुला उड़ाने के रायंध गें।

ग्रन्थ का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्णय विभाग को प्रत्यावतन किया जाए कि

गुहोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-221/FP/UK/ROAD/29687/2017, दिनांक 20 जुलाई, 2019 के रान्दर्भ में पुँजी यह कहने वाला निर्देश हुआ है कि यह एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शारान द्वारा निर्गत रोकथान्त्रिक रधीकृति आदेश रान्ख्या-276 /एतस-1-18 /1(62) /2018 दिनांक 20.03.2018 गें अधिरोपित शर्तों के पूर्ण अनुपालन होने वाले आदेश रान्ख्या-276 /एतस-1-18 /1(62) /2018 दिनांक 20.03.2018 गें अधिरोपित शर्तों के पूर्ण अनुपालन होने वाले तृष्णिगत श्री राज्यपाल गहोराय जनपद चमोली को अन्ताति कैल नदी पर 90 मी० स्पान के सुपलीगढ़ झूलापुल के निर्माण हेतु 0.11 है० वह गंभीर का गैर यानियी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग यो प्रत्यावर्तन करने की विधिवाल रधीकृति, निमनलिखित शर्तों/प्रतिवधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- एन० हतु ०.११ है० पा० गू० अथवा उसके समान रूप के अधीन प्रदान करते हैं:-

 1. यह गूण की वर्तमान तैयारीकरण विधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
 2. प्रयोगता एजेन्सी उक्त गूण का उपयोग कोवल कथित प्रयोग हेतु ही करेगा तथा वह उक्त गूण अथवा उसके समान रूप के अधीन रहेगा।
 3. गिरी गाग तो किरी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
 4. प्रयोगता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा टेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित प्रभागीय व्यक्तियों को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सामन्धित प्रभागीय अन्तिगत एवं प्रयोगता एजेन्सी पर वाच्यकारी होंगा। प्रयोगता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
 5. उक्त यह गूण प्रयोगता एजेन्सी के उपयोग में तय तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसके उपयोगता एजेन्सी को उक्त गूण अथवा उसके विभिन्न गाग की आवश्यकता न रहेगी। यदि प्रयोगता एजेन्सी को उक्त गूण अथवा उक्त गूण का ऐसा गाग, जो प्रयोगता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, गूल विभाग को यहां विभिन्न प्रतिकर गुगलान के वापस हो जायेगी।
 6. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वह विभाग के राक्षण अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
 7. वह विभाग तथा उसके अधिकारी द्वारा प्रस्तावित पॉलिटेक्निक, के दोनों ओर रिक्त पड़े रथानां पर प्रयोगता एजेन्सी के व्यय पर वह विभाग द्वारा प्रस्तावित पॉलिटेक्निक, के दोनों ओर रिक्त पड़े रथानां पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
 8. वह विभाग द्वारा सातिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत यथोचित घृदांतों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
 9. गा० १० उच्चताग/न्यायालय/गारत राकार द्वारा यदि भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोगता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी० की वडी हुई धनराशि का गुगलान वह विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोप को रथानान्तरित किया जायेगा।
 10. प्रयोगता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य वत की रांतुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का वर्डाई रो अनुपालन किया जायेगा।
 11. प्रयोगता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तादोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के होते की वनस्पतियों एवं जीव जन्मुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
 12. प्रयोगता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत गजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोशिन तंत्र की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वर्नों पर जैविक दशाव को कम किया जा सकते।
 13. प्रयोगता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित रथान/वह क्षेत्र के आस-पास भजदूरों/स्टाफ के लिए किरी प्रकार का नहीं लेगाया जायेगा।
 14. प्रयोगता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित यह गूण को अतिरिक्त आस-पास की वह भूमि से राङ्क निर्माण/मिट्टी/पथर काटने एवं गरने का काये नहीं किया जायेगा।

प्रबन्ध

15. प्रयोक्ता एजेन्सी के, वाय पर गक डिस्पोजल का कार्य प्रत्युत की गयी विभाग के अनुरपर वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्तरित गलवे का निरतारण चिह्नित रथालों पर ही किया जायेगा य उत्तरित भलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निरुत्तरित नहीं किया जायेगा।
16. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विभाग निगम द्वारा किया जायेगा। एवं आवश्यक न्यूनतम् वृक्षों का ही पातन घिया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी० क्षतिपूरक वृक्षारोपण, गलवा निरतारण एवं गार्व के दोनों ओर रित पड़े रथानों पर वृक्षारोपण हेतु जगा की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन गंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रगान्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को रथानान्तरित कर दिया गया है।
18. यदि कोई अन्य संवंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रत्यावाप पर लागू होते हैं तो उनके अधीन सकाग प्राधिकारी गी अनुगति लेना प्रयोक्ता एजेन्सी का उत्तरदायित होगा।
19. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार गविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों/वन भूमि के संरक्षण हेतु आवश्यक सगझें।
20. प्रयोक्ता अधिकारण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित गूणि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing अंकित किया जाय।
21. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावाप में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की रिति में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति को निररत करने का अधिकार सुरक्षित है।
2. तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

गेवदीय,
मुख्य
(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संख्या: (1) / X-4-19/1(62)/2018 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

- निजी सचिव, गा० विधायक, संवंधित विभाग क्षेत्र।
- अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन गंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुगाप रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
- गहालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- जिलाधिकारी, जनपद-चमोली।
- प्रगामीय वनाधिकार, यद्दीनाथ वन प्रागाग, गोपेश्वर।
- अधिशासी अधियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराती।
- जिला पंचायत अध्यक्ष, चमोली।
- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेपित कि कृपया इस शासनादेश को एन०आई०वी० वी वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश रिहं)

उप सचिव।